भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1697
21 सितम्बर, 2020 को उत्तर के लिए

चक्रवात से पहले आई.सी.जी. द्वारा किए गए एहतियाती उपाय

1697. **डॉ. सुभाष रामराव भामरे:**
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **भारतीय तट रक्षक दल (आई.सी.जी.) ने मछुआरों की जान की हानि को रोकने के लिए और 'अम्फान' और निसर्ग चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए चक्रवात से ठीक पहले और रक्षात्मक उपाय शुरू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;

(ख) आई.सी.जी. जहाजों और डॉरनियर वायुयान जिन्हें 'अम्फान' और निसर्ग चक्रवात के ठीक पहले और बाद में कार्रवाई में लगाया गया था की संख्या कितनी है;

(ग) आई.सी.जी. द्वारा इन चक्रवातों के विरूद्ध सुरक्षा उपाय करने के लिए मछुआरों और तटीय जनसंख्या को सतर्क बनाने के लिए चलाए गए सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों की संख्या कितनी है;

(घ) बचाए गए मछुआरों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने लापता हैं और सरकार द्वारा लापता मछुआरों का पता लगाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ड.) रक्षा विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से क्या तंत्र अपनाया गया है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क): जी हां। भारतीय तट रक्षक बल ने मछुआरों की जान की हानि को रोकने और चक्रवात 'अम्फान' और निसर्ग के प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित पूर्व और सक्रिय उपाय शुरू किए हैं ।

(i) आईसीजी संगठनों को उच्च सतर्कता और उच्च स्थिति की तैयारियों पर रखा गया। मत्स्य प्राधिकारियों, राज्य प्राधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को एहतियाती उपायों के लिए चेतावनी दी गई।

(ii) प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रशासन, विभिन्न विभागों और भारतीय मौसम विभाग के साथ निरंतर संपर्क रखा गया।

(iii) भारतीय तटरक्षक रिमोट ऑपरेटिंग सेंटर और रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशनों ने वीएचएफ (अति उच्च आवृति) पर स्थानीय भाषाओं में सभी मछली पकड़ने वाली नौकाओं/मर्चेंट मेरिनर को सुरक्षा/सावधानी संदेश भेजे कि वे तट पर लौट आएं या नजदीक के पोर्ट पर शरण लें।

(iv) नेवटेक्स चेतावनी (नेविगेशनल टेक्स्ट मैसेज) और आईएसएन (इंटरनेशनल सेफ्टी नेट) को एक सप्ताह पहले ही मैरीटाइम रेस्क्यू को-ऑर्डिनेशन सेंटर (एमआरसीसी) द्वारा सक्रिय कर दिया गया और ट्रांजिटिंग मर्चेंट वेहिकल्स से अनुरोध किया गया कि मछुआरों को यह सलाह और चेतावनी दें कि वे नजदीक के मछली बंदरगाह पर वापस लौट आएं/शरण लें और यदि जरूरी हो तो उनकी मदद की जाए।

(v) भारतीय तटरक्षक जहाजों और विमानों को चक्रवात के दौरान कार्रवाई में लगाया गया। चक्रवात के उपरान्त किसी भी फंसी हुई नावों/जहाजों का पता लगाने के लिए क्षेत्र के पर्यवेक्षण हेतु जहाजों और विमानों को फिर से काम सौंपा गया।

(vi) चक्रवात अम्फान के दौरान, भारतीय तटरक्षक बल ने लगभग 174 मछली पकड़ने वाली नौकाओं को सुरक्षित मार्ग दिखाया और 67 व्यापारी जहाजों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया।

(vii) चक्रवात निसर्ग के दौरान, भारतीय तटरक्षक बल ने लगभग 2354 मछली पकड़ने वाली नौकाओं को सुरक्षित किया और 03 व्यापारी जहाजों को सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया।

(ख) अम्फान चक्रवात के दौरान पहले और बाद में 05 आईसीजी जहाजों और 04 डोर्नियर विमानों को काम पर लगाया गया।

निसर्ग चक्रवात के दौरान पहले और बाद में 06 आईसीजी जहाजों और 03 डोर्नियर विमानों को काम पर लगाया गया।

(ग) वर्तमान कोविड-19 लॉकडाउन के कारण और केंद्र/राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम प्रतिबंधित किए गए हैं। हालांकि, मछुआरों को चेतावनी देने और सतर्क करने के लिए सोशल मीडिया, टेलीविजन चैनलों, समाचार पत्र, वीएचएफ (अति उच्च आवृति) प्रसारण का उपयोग किया गया। वर्ष 2009 के बाद से, भारतीय तट रक्षक ने संरक्षा और सुरक्षा सहित विभिन्न पहलुओं के संबंध में मछुआरों के बीच जागरूकता लाने के लिए 8462 से अधिक सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम (सीआईपी) आयोजित किए हैं।

(घ) 'अम्फान' और निसर्ग चक्रवात के दौरान कई हितधारकों द्वारा निवारक और सक्रिय प्रयासों के कारण न तो समुद्र में किसी भी तरह की कोई घटना/दुर्घटना हुई है और न ही किसी के जान की हानि हुई है।

(ड.) (i) आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी प्रकार की प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए आज्ञापित है।

(ii) आवश्यकता पड़ने पर सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों को बुलाया जाता है। आईसीजी सरकार की प्रतिक्रिया क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी गंभीर तटीय आपदा स्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया करता है।

(iii) आईसीजी ने आपदा प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को सभी संरचनाओं तक विस्तारित कर दिया गया है और आईसीजी कर्मियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए प्रयास शुरू किए हैं।

(iv) आईसीजी यूनिटें सभी राज्य और जिला प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क और समन्वय बनाए रखती है।

***